इसे बेवसाईट www.govtpress.mp.gov.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपहा

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक २६७]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 सितम्बर 2025–भाद्र 28, शक 1947

# विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2025

क्र. 9047—169—इक्कीस—अ (प्रा.).— मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18 सितम्बर 2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार, सचिव.

#### मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २२ सन् २०२५

# मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०२५

[ दिनांक १६ सितम्बर, २०२५ को राज्यपाल की अनुमित प्राप्त हुई; अनुमित ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक १६ सितम्बर, २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १६६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो.

संक्षिप्त नाम.

9. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०२५ है.

धारा १३ का संशोधनः २. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १६६१ (क्रमांक २५ सन् १६६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

आवश्यक कर का संदाय करने में असफल और/या बिना परिमट संघालन के लिए शास्ति. ''9३. (एक) (क) यदि मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत किसी यान के संबंध में शोध्य कोई कर, धारा ५ में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार संदत्त नहीं किया गया है, तो स्वामी, शोध्य कर के संदाय के अतिरिक्त, प्रत्येक मास या उसके भाग के व्यतिक्रम के लिए कर की असंदत्त रकम के ४ प्रतिशत की दर से शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा किन्तु शास्ति, कर की असंदत्त रकम के चार गुना से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यदि इस अधिनियम के अधीन जीवन-काल कर का संदाय नहीं किया गया है तो स्वामी, शोध्य कर के संदाय के अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के व्यतिक्रम के लिए जीवन-काल कर के एक-दशमांश की दर से, किन्तु धारा ३ की उपधारा (१) के प्रथम परंतुक के अधीन देय जीवन-काल कर से अनिधक, शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा.

- (ख) मध्यप्रदेश राज्य के अन्यथा अन्य राज्य में पंजीकृत परिवहन यान (मध्यप्रदेश राज्य में संचालन के लिए वैध परिमट के साथ) या संनिर्माण उपस्कर यान या किसी अन्य श्रेणी का वाहन यदि इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में ऐसे यान के लिये यथा विनिर्दिष्ट मोटरयान कर के संदाय किये बिना मध्यप्रदेश राज्य में चलाए जाते हुए पाए जाएं, तो ऐसे यान का स्वामी, देय मोटरयान कर के अतिरिक्त, असंदत्त कर की रकम के चार गुना शास्ति का दायी होगा;
- (दो) उपधारा (एक) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि,-
  - (क) लोकसेवा यान/निजी सेवायान/शैक्षणिक संस्था बस/स्कूल बस बिना परिमट या परिमट में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अन्यथा, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर चलाए जाते हुए पाए जाएं, तो ऐसे यान का स्वामी, देय मोटरयान कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त, ऐसे यान के चालक को छोड़कर पंजीकृत बैठक क्षमता अनुसार, रूपये 9000/- प्रति सीट शास्ति का दायी होगा;
  - (ख) माल वाहन बिना परिमट या परिमट में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अन्यथा, मध्यप्रदेश राज्य में चलाए जाते हुए पाए जाएं, तो ऐसे यान का स्वामी, देय मोटरयान कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त, ऐसे यान के सकल यान भार अनुसार रूपये १०००/- प्रति टन या उसके भाग के लिए शास्ति का दायी होगा.".

#### भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2025

क्र. 9047—169—इक्कीस—अ (प्रा.)— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 22 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार, सचिव.

#### MADHYA PRADESH ACT

NO. 22 of 2025

### THE MADHYA PRADESH MOTORYAN KARADHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2025

[ Received the assent of the Governor on the 18th September, 2025; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 19th September, 2025. ]

#### An Act further to amend the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-sixth year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2025.

Short title.

2. For Section 13 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the following section shall be substituted, namely:-

Ammendment of Section 13.

"13.(1)(a) if the tax due in respect of any motor vehicle registered in Madhya Pradesh has not been paid as specified in Section 5, the owner shall, in addition to the payment of tax due, be liable to a penalty at the rate of 4 percent of the unpaid amount of tax for the default of each month or part thereof but the penalty shall not exceed four times the unpaid amount of tax:

Penalty for failure to pay the required tax and/or plying without permit.

Provided that if the lifetime tax under this Act has not been paid, the owner shall, in addition to the payment of tax due, be liable to a penalty at the rate of one-tenth of the lifetime tax for the default of each year or part thereof but not exceeding the lifetime tax payable under the first proviso to sub-section (1) of Section 3;

- (b) if transport vehicle (with valid permit necessary to operate in the State of Madhya Pradesh) or a construction equipment vehicles or any other category of vehicle, registered in the State other than Madhya Pradesh State, is found plying within the State of Madhya Pradesh without payment of motor vehicle tax as specified in First Schedule of this Act for such vehicles, the owner of such vehicle, in addition to the tax due, if any be liable to pay penalty which shall be four times the tax due.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), if,-
  - (a) a Public Service Vehicle/Private service vehicle/Educational Institution Bus/School Bus is found plying within the State of Madhya Pradesh without permit or found plying for purpose other than specified in the permit, the owner of such vehicle shall, in addition to the tax due, if any, be liable to pay penalty which shall be Rs. 1000/- per seat, as per the total scating capacity of such vehicle, excluding the driver.
  - (b) a goods vehicle found plying in the State of Madhya Pradesh without permit or found plying for purpose other than specified in the permit, the owner of such vehicle shall, in addition to the tax due, if any, be liable to pay penalty which shall be Rs. 1000/- per ton or part thereof, as per the gross vehicle weight of such vehicle."